-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मारपीट करने व अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाली अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्ता के कब्जे में अवैध तमंचा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मारपीट करने व अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 04.09.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम लामा की रहने वाली उमा ने सूचना दी की दिनांक 03.09.2026 को उनके ही परिवार की रहने वाली रिंकू द्वारा उनके साथ मारपीट की गई तथा अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी जिसके सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता के कब्जे में अवैध तमंचा बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. रिंकू पत्नी रामरुचि निवासी लामा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 239/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संजीव कुमार चौबे थानाध्यक्ष कोतवाली देहात
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार मेहता
3. कां0 राहुल कुमार
4. म0कां0 महिमा भारती